प्रकरण संख्या 04/2024 कमलेश पुरी व अन्य बनाम पवन व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
25.07.2024	प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1/1 से 1/4 के मृतक पिता रतु ने एक वाद बाबत् अन्तर्गत धारा 88, 136, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी के निजी स्वामित्व एवं आधिपत्य की आराजी नंबर 1485 एवं नया 441 रकबा 0.11 एयर भूमि वाके ग्राम सामागड़ा, तहसील गढ़ी में स्थित है। उक्त भूमि वादी के कब्जे एवं स्वामित्व की होने से दिनांक 04-01-1975 को वादी द्वारा कृषि से अकृषि में परिवर्तन कराकर तहसीलदार गढ़ी द्वारा सनदी पट्टा वादी के पक्ष में जारी किया गया तथा उस पर वादी ने अपना मकान बनाकर शेष भूमि बाड़े के रूप में उपयोग में ले रहा है तथा उक्त भूमि का नामान्तरकरण भी वादी के नाम दर्ज हो चुका है। प्रतिवादी संख्या 1 उक्त भूमि के पड़ोसी होने से राजस्व अधिकारियों से मिलकर वादी की पीठ पीछे फर्जी तरीके से नामान्तरकरण अपने नाम दर्ज करवा लिया है, जिसका उन्हें कोई हक व अधिकार नहीं है। प्रतिवादी संख्या 1 वादी को जानबूझकर परेशान करते हैं तथा उक्त भूमि पर अतिक्रमण करने का प्रयास कर रहे हैं। अतः वादी का वाद स्वीकार कर आराजी नंबर 1485 एवं नया 441 रकबा 0.11 एयर की इन्द्राज दुरस्ती करायी जाकर वादी के नाम दर्ज की जावे। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा खण्डन का जवाबदावा प्रस्तुत किये जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में 4 तनकियां कायम की एवं तनकीवार विवेचन करते हुए दिनांक 28.03.2024 को वादी का वाद स्वीकार कर डिक्री जारी की, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रतिवादी संख्या 1/1 से 1/4 द्वारा दिनांक 30.04.2024 को यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये गये, किन्तु रेस्पोन्डेन्टगण बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया जाकर अभिभाषक अपीलान्ट की बहस सुनी गई। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराते हुए बताया कि वादी स्वयं ने अपने वाद में वादग्रस्त भूमि का अकृषि परिवर्तन करा पट्टा जारी होने का उल्लेख किया है, जिससे स्पष्ट है कि उक्त भूमि आवासीय होने से राजस्व न्यायालय का श्रवणाधिकार नहीं है। रेस्पो[illegible] ने जो पट्टा पेश किया है वह हस्तलिखि[illegible] में इन्द्राज किया हुआ है, जिसमें उक्त पट्टा [illegible] होकर बनावटी प्रकट होता है, लेकिन अ[illegible] दस्तावेज के आधार पर तनकी नंबर 1 वादी के पक्ष में निर्णित कर दी है, जो त्रुटि पूर्ण है।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:49:05 IST
Reason: SelfAttested

मू.प्र.अ. एवं रा.अ.अ.
उदयपुर (राज.)

अधिनस्थ न्यायालय ने तनकी नंबर 2 वादी/रेस्पोन्डेन्ट के विरूद्ध तथा तनकी नंबर 3 प्रतिवादी/अपीलान्ट के पक्ष में निर्णित करने के बावजूद वादी का वाद डिकी करने में भारी भूल की है। अधिनस्थ न्यायालय ने विवादित आराजी में वादी का कोई हक अधिकार नहीं होने से वाद स्वीकार योग्य नहीं माना है, फिर भी वाद डिकी कर दिया, जिससे अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिकी विरोधाभाषी है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिकी निरस्त की जावे तथा दोराने अपील यदि उक्त निर्णय व डिकी के आधार पर राजस्व अभिलेखों में कोई इन्द्राज हुआ है तो उसे निरस्त किया जाकर पुनः पूर्व की भांति दर्ज करने हेतु तहसीलदार गढ़ी को आदेश प्रदान किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया। अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत दस्तवेज अनुसार आराजी नंबर 441 रकबा 13 बिस्वा भूमि प्रतिवादी लक्ष्मणपुरी पिता वजेपुरी को आवंटित होना स्पष्ट प्रकट होता है, जो अपीलान्ट संख्या 1 व 2 के पिता तथा अपीलान्ट संख्या 3 के पति थे। उक्त साबिक आराजी नंबर 441 के हाल आराजी नंबर 1485 रकबा 0.11 हैक्टर भूमि हाल जमाबन्दी संवत् 2071 से 2074 में अपीलान्टगण के पिता/पति लक्ष्मणपुरी के खातेदारी में दर्ज है एवं इस संबंध में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बनायी गयी तनकी नंबर 3 भी अपीलान्ट/प्रतिवादी के पक्ष में निर्णित की गयी है, किन्तु वादग्रस्त आराजी पर 6600 वर्गफिट पर मकान व परकोटा वादी/रेस्पोन्डेन्ट का होना मानकर रेस्पोन्डेन्ट/वादी का वाद डिकी कर दिया। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिकी विरोधाभाषी होकर प्रथम दृष्टया त्रुटि पूर्ण है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय के प्रकरण संख्या 38/2012 निर्णय एवं डिकी 28.03.2024 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में बनायी गयी उक्त तनकियां का पुनः साक्ष्यों के आधार पर विवेचन करते हुए नये सिरे से निर्णय पारित करें। अधिनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय व डिकी की पालना में यदि किसी प्रकार का इन्द्राज राजस्व रेकार्ड में कर दिया गया है तो उसे निरस्त किया जाकर पूर्व की स्थिति बहाल की जावे। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 20.08.2024 को उपस्थित रहें। निर्णय आज दिनांक 25.07.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:49:05 IST
Reason: SelfAttested

(प्रदीप सिंह सांगावत)
राजस्व अपील अधिकारी
एवं पदेन जिला कलक्टर
राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर